युवा उद्यमियों के लिये सुनहरा अवसरः सभी संभागीय स्तरों पर मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा-उद्योग शुरु करना हुआ आसान

जयपुर, 21 अप्रैल (का.सं.)। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने 'प्लग एंड प्ले' सुविधा देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप, रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों एवं किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखण्डों का चयन कर लिया है। यह अत्याधुनिक 'प्लग एंड प्ले' सुविधा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों यथा जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उक्त भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जायेगा। तत्पश्चात् 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा। उपरोक्त भूखण्ड़ के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर (Prevailing Rate) की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी। किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारंभिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी। रीको द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा (जयपुर) में फ्लेटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स (प्लग एण्ड प्ले) में रेडी टू मूव इन मॉड्यूल्स को आवंटन हेतु खोला जाकर 14 मॉड्यल्स का लाईसेंस बेसिस पर आवंटन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित 'राज-ममता' कार्यक्रम, प्रदेश के हर जिले में स्थापित होंगे 'मेंटल हेल्थ केयर सेल्स'

जयपुर, 21 अप्रैल (का.सं.)। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। 'विकसित राजस्थान-2047' के विजन को साकार करने के क्रम में 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 'राज-ममता' कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर 'राज-ममता' (राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फोर ऑल) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नेशनल टेली मेंटल हैल्थ प्रोग्राम 'टेली मानस' का भी प्रदेशभर में प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों को मानसिक संबल प्रदान करने के साथ ही अवसाद एवं तनाव जैसी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के एक 'मॉडल राज्य' के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।

जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिला स्तर पर सुदृढ़ीकरण

इस नवाचार के अंतर्गत जयपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हैल्थ' की स्थापना की जा रही है। यहां अत्याधुनिक काउंसलिंग और टेली-मेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी विशेषज्ञों की सलाह मिल सकेगी। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 'मेंटल हेल्थ केयर सेल्स' स्थापित किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को अपने ही जिले में विशेषज्ञ परामर्श, पुनर्वास और उपचार सुलभ हो सके।

टेली-मानस, संकट के समय त्वरित सारथी

मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे लोगों की तुरंत सहायता के लिए संचालित 'टेली-मानस' (14416 और 18008914416) कार्यक्रम राजस्थान में अत्यंत सफल साबित हो रहा है। 15 अप्रेल 2026 तक प्रदेश में कुल 71 हजार से अधिक लोगों ने इन टोल-फ्री नंबरों के जरिए परामर्श लिया। जयपुर में मई 2023 और जोधपुर में नवंबर 2023 से यह सेवा निरंतर दी जा रही है।

युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

'राज-ममता' कार्यक्रम के तहत युवाओं में बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मित्रों और आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों की पहचान कर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

फर्म श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स पता वार्ड नंबर 13, गिंगोली रोड, परबतसर, जिला डीडवाना 341512 पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर RF/NGR/2021/2781 है, जो 12/08/2021 को रजिस्टर्ड हुआ था। तारीख 20/04/2026 को पार्टनर्स में बदलाव हुआ है जिसकी डिटेल्स निम्स हैं

1. अमरेश चंद्र तिवारी पुत्र राम प्यारे तिवारी (तारीख 20/04/2026 से नया प्रवेश भागीदार हिस्सा 80.00%)
2. हसीन खान पुत्र जमील खान (निरंतर भागीदार हिस्सा 20.00%)
3. वैशाली, पुत्री सुमन (तारीख 20/04/2026 से सेवानिवृत्त साझेदार)
4. अजीत कुमार सिंह पुत्र प्रेम राज सिंह (तारीख 20/04/2026 से सेवानिवृत्त साझेदार) उक्त बदलाव से सभी पार्टनर पूर्ण रूप से सहमत हैं जिस किसी को भी आपत्ति दर्ज करवानी है वो सूचना प्रकाशन के 07 दिनों के अंदर फर्म रजिस्टर जिला उद्योग केंद्र डीडवाना में संपर्क करें और फर्म के पते पर भी संपर्क करें फर्म श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स पता वार्ड नंबर 13, गिंगोली रोड, परबतसर, जिला डीडवाना 341512

ब्रांच कार्यालय M.L. सं. 97/21, ग्राम बघेरा, ज़िला अजमेर (राजस्थान)

मोबाइल नंबर 9161514448

PIN code - 341512

---

sidbi

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

पहली मंजिल, आत्मा राम हाउस, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट - www.sidbi.in

कब्जा सूचना (प्रतीकात्मक) (अचल संपत्ति के लिए)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-8(1) देखें]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का प्राधिकृत अधिकारी है, जिसकी स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (के 39वे 1989) के अंतर्गत की गई है तथा जिसका प्रधान कार्यालय 'सिडबी टावर', 15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 में स्थित है और शाखा कार्यालय बिशेष परिसम्पत्ति वसूली वार्टिकल, प्रथम तल, आत्मा राम हाउस, 1, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित है। हस्ताक्षरकर्ता ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (2002 का 54) (अधिनियम) की धारा 13(12) सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **22 जुलाई 2025** को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसके द्वारा उधारकर्ता रेणुका इंडस्ट्रीज, और गारंटर श्री सुरेश रामगोपाल अग्रवाल, श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल, श्री राकेश कुमार अग्रवाल, श्री मोहम्मद नईम शेख, श्री हरेश छगनभाई जलारिया, श्री दिलीप प्रेमजीभाई वरसादा, श्री कल्पेश गोपालभाई जलारिया, श्री रजनीकांत मगनभाई जलारिया, श्री विवेककुमार पंकजलाल संघन, श्री श्याम लाल अग्रवाल और श्री दिनेश रामगोपाल अग्रवाल को उक्त नोटिस में उल्लिखित राशिरु. 4,04,15,722.5 (चार करोड़ चार लाख पंद्रह हजार सात सौ बाईस और पांच पैसे) तथा दिनांक 10.07.2025 तक देय ब्याज सहित, नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु कहा गया था। उधारकर्ता एवं गारंटरों द्वारा उक्त राशि का भुगतान न किए जाने पर, एतद् द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) सहपठित सिक्योरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **16 अप्रैल 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का (प्रतीकात्मक) कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता एवं गारंटरों को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति से किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पक्ष में रु. 4,04,15,722.5 (चार करोड़ चार लाख पंद्रह हजार सात सौ बाईस और पांच पैसे) तथा उस पर देय ब्याज के भार के अधीन रहेगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय का प्रावधान है।

अचल संपत्ति का विवरण

खसरा नंबर 659/198 नंबर 658/198, ग्राम चेना का खेड़ा, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

उक्त भूमि पर स्थित समस्त भवन एवं संरचनाएँ तथा भूमि से संलग्न अथवा स्थायी रूप से जुड़ी हुई समस्त प्लांट एवं मशीनरी सहित।

दिनांक : 16.04.2026
स्थान : राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

खबर का असर- अवैध माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई, ट्रेलरों पर लाखों की पेनल्टी

फर्जीवाड़े पर सख्ती: प्रशासन ने दोनों कांटों को कराया बंद

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

अजमेर/केकडी, 21 अप्रैल (का.सं.)। क्षेत्र में अवैध माइनिंग और फर्जी ई-रवन्ना को लेकर प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और खनिज विभाग ने लगातार सख्त कार्रवाई की है। अधिक्षण खनिज अभियंता अजमेर जे.के. गुरुबक्षाणी के निर्देशन व सहायक खनि अभियंता मनोज कुमार तँवर के नेतृत्व में खानिकार्यदेश श्रवण सिंह व बॉर्डर होमगार्ड टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए केकड़ी-सरवाड़ मार्ग पर सूरजपुरा के पास दो ग्रेनाइट से भरे ट्रेलर बिना रवन्ना अवैध परिवहन करते पकड़े गए। दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना सरवाड़ की सुपुर्दगी में दिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि वाहन मालिक बलबीर चौधरी (नागौर) द्वारा यह खनिज चतुर्भुज लौहार नाम की लीज, ग्राम मानखंड (तहसील केकड़ी) से भरकर लाया गया था।

लीज धारक को नोटिस

अवैध ग्रेनाइट परिवहन प्रकरण में संबंधित लीज धारक के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए अलग से नोटिस जारी किया गया है।

फर्जी ई-रवन्ना का पूरा खेल

जांच में सामने आया कि ट्रेलर मालिक ने

* जैन धर्मकांटा, केकड़ी (प्रोपराइटर: अनिता जैन)

* राजाजी धर्मकांटा, बघेरा (प्रोपराइटर: प्रियदर्शिनी राठौर)

के साथ मिलीभगत कर, गाड़ी पुलिस थाने में जब्त होने के बावजूद बाद में फर्जी ई-रवन्ना कटवाया।

जब्त गाड़ी के बाद भी जारी हुआ ई-रवन्ना: सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वाहन पुलिस थाने में जब्त होने के बावजूद कागजों में उसे चालू दिखाते हुए ई-रवन्ना जारी कर दिया गया, जिससे पूरे मामले में गंभीर अनियमितता सामने आई।

फर्जीवाड़े पर सख्ती: दोनों कांटों को कराया बंद

इस गंभीर अनियमितता पर खनिज विभाग ने जैन धर्मकांटा, केकड़ी और राजाजी धर्मकांटा, बघेरा पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों कांटों को बंद करवा दिया।

ट्रेलर मालिक पर लाखों का जुर्माना

अवैध ग्रेनाइट ट्रेलर प्रकरण में फर्म सालासर क्रियेशन, नागौर (वाहन मालिक) पर भारी पेनल्टी लगाई गई-

* वाहन संख्या RJ14GP8542 पर रू. 2.50 लाख

* वाहन संख्या RJ37GB2973 पर रू. 2.80 लाख

प्रशासन का सख्त संदेश

खनिज विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत है कि अब अवैध माइनिंग, फर्जी दस्तावेज और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि खबर का असर हुआ और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

केकड़ी के शिक्षकों ने अजमेर में परीक्षा ड्यूटी का विरोध, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 21 अप्रैल (दीपांकुर चौहान)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) खंड-केकड़ी के नेतृत्व में क्षेत्र के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों ने अजमेर में प्रतियोगी परीक्षाओं की ड्यूटी लगाने का विरोध किया। संगठन के अध्यक्ष मोजेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में 75 प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजमेर गोविंद नारायण शर्मा तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर दर्शना शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में केकड़ी क्षेत्र के शिक्षकों को ऑब्जर्वर व वीक्षक के रूप में अजमेर शहर में ड्यूटी दी जाती है। केकड़ी से अजमेर की दूरी लगभग 100 से 120 किलोमीटर होने के कारण शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों ने बताया कि सुबह जल्दी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए कोई उचित यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है। इसमें लगभग 2500 रुपए तक खर्च आता है, जबकि ड्यूटी के बदले मात्र 250 से 300 रुपए का मानदेय मिलता है और यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता। संगठन ने मांग की है कि केकड़ी क्षेत्र के शिक्षकों की अजमेर में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। साथ ही, यदि 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ड्यूटी लगाई जाती है तो नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबाबू सोनी, संजय सैनी, रामजस साहू, परिचय पांड्या, सुरेश चौधरी, पृथ्वीराज सिंह गौड़, राधेश्याम कुमावत, श्रीधर जाट, कमल किशोर अग्रवाल, जय सिंह मीणा, महावीर प्रसाद शर्मा, श्याम सुंदर पारीक, हेमन पाठक, अशोक जैतवाल, हेमेन्द्र चौधरी, रमाकांत पारीक, पप्पू लाल रैगर, फरीदा बानो, कालूराम सामरिया, छीतरमल नैनवाल, रामलाल जाट, योगेश आचार्य, जगदीश बडोला, विक्रम सिंह, रजनी लखोटिया सहित 75 प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे।

जयपुर में 17 साल की लड़की का किडनैपः परिचित ने धोखे से मिलने था बुलाया, 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा

जयपुर, 21 अप्रैल (का.सं.)। जयपुर में 17 साल की लड़की के किडनैप का मामला सामने आया है। धोखे से मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी परिचित उसको उठा ले गया। धमकी देकर उत्तर प्रदेश में 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा। जयपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल ढूंढ निकाला। आरोपी परिचित को अरेस्ट किया है।

पुलिस ने बताया- जयपुर की रहने वाली 17 साल की लड़की करीब 10 दिन पहले लापता हो गई थी। घर से निकलने के बाद रहस्यमीय तरीके से गायब होने पर नाबालिग के किडनैपिंग की स्न्ढक्रदर्ज की गई। नाबालिग लड़की को ढूंढते हुए पुलिस टीम उत्तर प्रदेश जा पहुंची। पुलिस टीम की ओर से दबिश देकर नाबालिग को सकुशल ढूंढ निकाला गया।

मिलने के बहाने बुलाया: नाबालिग पीड़िता ने बयान में बताया- आरोपी परिचित ने उसका किडनैप कर बंधक बनाकर रखा। परिचित होने के कारण उसकी आरोपी से बातचीत थी। 10 दिन पहले मिलने के बहाने आरोपी परिचित ने उसे घर के पास बुलाया। धोखे से मिलने बुलाकर आरोपी परिचित उसको बहला-फुसलाकर ले गया। धमकी देकर जबरन उत्तर प्रदेश लाकर 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा। नाबालिग पीड़िता के बयानों के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर आरोपी परिचित को अरेस्ट किया गया।

नशा माफिया पर झालावाड़ पुलिस का प्रहार: तस्कर लियाकत खान की 2.52 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी आर्थिक स्ट्राइक

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 21 अप्रैल (का.सं.)। झालावाड़ पुलिस ने जिले को नशामुक्त करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के अंतर्गत एक बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने कुख्यात तस्कर लियाकत खान द्वारा मादक पदार्थों की काली कमाई से अर्जित की गई करोड़ों की चल-अचल संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत स्थाई रूप से फ्रीज कर दिया है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्यवाही को विधिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने बताया कि पुलिस की इस कार्यवाही के बाद अब ड्रग माफिया लियाकत खान और उसके सहयोगी अवैध आय से अर्जित संपत्तियों का न तो उपभोग कर सकेंगे और न ही उनका विक्रय या हस्तांतरण कर पाएंगे। फ्रीज की गई संपत्तियों में 02 भव्य मकान है जिनका कुल बाजार मूल्य 2,52,47,960/- रुपये है।

ऑपरेशन की रणनीति और प्रशासनिक समन्वय

एसपी अमित कुमार ने बताया कि तस्करों की जड़ों पर वार करने के लिए एमओबी शाखा में तस्करों की संपत्तियों का एक गोपनीय डेटाबेस तैयार किया गया। इस मिशन को सफल बनाने में जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड मिलान में और पीडब्ल्यूडी विभाग ने संपत्तियों के बाजार मूल्य के त्वरित मूल्यांकन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

तस्कर लियाकत खान का आपराधिक इतिहास

आरोपी लियाकत खान निवासी चाचुर्नी, डग के विरुद्ध पूर्व में मादक पदार्थ तस्करी के गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस द्वारा की गई पूर्व में की गई कार्यवाहियों में अब तक कुल 3123 किलोग्राम डोडा चूरा व अफीम (अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य (4.83 करोड़ रुपये) और 01 ट्रेलर ट्रक (38 लाख) और 01 बुलेट बाइक (2 लाख) जब्त किए गये है।

झालावाड़ पुलिस का कड़ा संदेश

जिला पुलिस की इस कार्यवाही से समाज में यह स्पष्ट संदेश गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति स्थायी नहीं रहती। ऑपरेशन दिव्य प्रहार 1.0 की सफलता के बाद जनवरी 2026 से शुरू हुए 2.0 संस्करण का मुख्य लक्ष्य न केवल तस्करों को जेल भेजना है, बल्कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ना भी है। इस ऐतिहासिक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में विभागीय जांच शाखा के एएसआई हेमन्त शर्मा, एमओबी शाखा के हेड कांस्टेबल पिंकू मैरोठा और साइबर थाना के एमओबी शाखा, झालावाड़ कांस्टेबल वीकेश कुमार शर्मा व साइबर टीम के कांस्टेबल नितेश यादव की मुख्य भूमिका रही।

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः-www.pnbhousing.com

शाखा का पताः पहली मंजिल, सनी पैराडाइज, टोंक रोड, कमल एंड कंपनी के पास, जयपुर - 302018, राजस्थान

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **"जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर"** बेचा जाएगा। एतद्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रैंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओयू/जेपीआर/0517/383073 महेश चंद शर्मा /मीनू शर्मा बी.ओ.:- जयपुर	रु. 20,18,830.43 और 19.10.2019	भौतिक	फ्लैट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर जी-82, करधनी गोविंदपुरा ब्लॉक जी, कालवाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान-302012	रु. 20,60,000	रु. 2,06,000	11.05.2026	रु. 10,000	01-05-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	12.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	*शून्य/ ज्ञात नहीं

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** 1. आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। 3. कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री अश्वनी कुमार सिंह, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**

स्थान:- जयपुर, कोटा दिनांक:- 21.04.2026

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत, 3 बहनों का इकलौता भाई था; दुल्हन की चीखें सुनकर हर कोई रो पड़ा

चित्तौड़गढ़, 21 अप्रैल (का.सं.)। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है। पारसोली क्षेत्र के बड़ाखेड़ा गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के शिकार हुए किशनलाल का दो दिन पहले ही विवाह हुआ था।

किशन को ट्रेलर ने लिया चपेट में

जानकारी के अनुसार किशन पुत्र नारायण हजूरी सुबह करीब साढ़े 11 बजे किसी कार्य से जा रहा था। इसी दौरान बडलियास की ओर से आ रहे एक ट्रेलर ने बड़ाखेड़ा स्कूल के पास उसे अपनी चपेट में ले लिया।

मौके पर ही तोड़ दिया दम

हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए।

पूरे क्षेत्र में शोक की लहर

सूचना पर पारसोली थानाधिकारी ठाकराराम पुलिस जाप्ते के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बार पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक किशन की शादी महज दो दिन पूर्व ही 19 अप्रेल को हुई थी। हादसे के बारे में जिसने भी सुना वह सन्न रह गया।

तीन बहनों के बीच वह इकलौता भाई था

किशन परिवार में माता-पिता और तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। खुशियों से भरा घर अचानक मातम में बदल गया और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजन अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कि उनका बेटा हमेशा के लिए चला गया।

दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी तक फीकी भी नहीं पड़ी थी

दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी तक फीकी भी नहीं पड़ी थी, उसका शादी के दो दिन बाद ही सुहाग उजड़ गया। दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है, उसकी चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। घर में शादी की रस्मों की गूंज थी, लेकिन अब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री इरफान मो श्रीमती रेशमा बानो 90001018971692	सभी चल और अचल संपत्ति, जो प्लॉट पट्टा संख्या 119, मिसल संख्या 37 दिनांक 2.10.2019 मकान स्थित पुत्र लतीफ मोहम्मद ग्राम-कारवार, ग्राम पंचायत-कारवार, धाकड़ मोहल्ला, तहसील-नैनवा, जिला- बूंदी, राजस्थान-323616 में स्थित है और जो आवरित है:	जुलाई 19, 2025	अप्रैल 18, 2026	रु.5,25,333.71 (जुलाई 18, 2025 तक)
श्रीमती कंपूरी मीना श्री धनपाल मीना 20007100000497	सभी चल और अचल संपत्ति, जो फ़्लैट नंबर ई39 /201, स्कीम जेपी-23 पटनी बिल्डर्स वार्ड नंबर 18, बस स्टैंड के सामने, टोंक रोड, चाकसू, जयपुर, राजस्थान 303901, क्षेत्रफल 325 वर्ग। फुट. में स्थित है और जो आवरित है:	फरवरी 19, 2024	अप्रैल 19, 2026	रु.1,26,088.62 (फरवरी 19, 2024 तक)
श्री महावीर सैनी श्रीमती आरती देवी श्री श्रवण श्रवण श्रीमती पाना पाना 20007210000210	सभी चल और अचल संपत्ति, जो वार्ड क्रमांक 43, सरवराबाद टोंक, तहसील एवं जिला। टोंक (राजस्थान), 304001 माप 233.33। वर्ग. यार्ड में स्थित है और जो आवरित है:	नवंबर 15, 2025	अप्रैल 17, 2026	रु.4,82,222.03 (नवंबर 11, 2025 तक)
श्रीराधेश्याम ढोली श्रीमती ललिता देवी 20007140001801	सभी चल और अचल संपत्ति, जो पट्टा संख्या 205, वार्ड संख्या 3, होली खूंट के दर्रा, नैनवा, बूंदी, राजस्थान 323801, माप 352 वर्ग। फुट में स्थित है और जो आवरित है:	मार्च 31, 2025	अप्रैल 19, 2026	रु.4,39,165.52 (मार्च 24, 2025 तक)
श्री शब्बीर मोहम्मद श्रीमती नन्नी गफूर मोहम्मद मोहम्मद सादिक श्री वसीम मोहम्मद रानू बानो शब्बीर मोहम्मद 20007140000589	सभी चल और अचल संपत्ति, जो पट्टा संख्या 347, वार्ड संख्या 20, राजीव कॉलोनी, बस स्टैंड के पास, नैनवा, जिला- बूंदी, राजस्थान, 323801; क्षेत्रफल 91.63 वर्ग मीटर में स्थित है और जो आवरित है:	दिसंबर 07, 2024	अप्रैल 19, 2026	रु.9,89,432.67 (दिसंबर 01, 2024 तक)
श्री कमल कुमार सोनी श्री पंकज कुमार श्रीमती अंजनी कुमार सोनी श्रीमती शोभा देवी अंजनी कुमार सोनी 20007140000726 20007140000912	सभी चल और अचल संपत्ति, जो पट्टा संख्या 45, वार्ड संख्या 11, मालियों का मोहल्ला, नैनवा, जिला- बूंदी, राजस्थान, 323801, क्षेत्रफल 1174.05 वर्ग। फुट में स्थित है और जो आवरित है:	अगस्त 26, 2024	अप्रैल 19, 2026	रु.13,81,135.15 (अगस्त 16, 2024 तक)
श्री मोहर सिंह श्रीमती शकुंतला देवी 20007210000096 20007210000100	सभी चल और अचल संपत्ति, जो मकान नंबर 605 - जिल्द नंबर 605, डीड नंबर 201903042100091, ग्राम अलीपुरा बिल्डिंग, पोस्ट छान, टोंक, राजस्थान, 304001 माप क्षेत्रफल 880 वर्ग। फुट में स्थित है और जो आवरित है:	नवंबर 11, 2024	अप्रैल 17, 2026	रु.5,80,351.10 (नवंबर 07, 2024 तक)
श्री कैलाश वर्मा श्रीमती माया देवी 71180000005130	सभी चल और अचल संपत्ति, जोप्लॉट संख्या 20, गणेश नगर सिरसी, तहसील एवं जिला जयपुर, राजस्थान, 302021। क्षेत्रफल: 125 वर्ग गज में स्थित है और जो आवरित है:	अगस्त 13, 2025	अप्रैल 18, 2026	रु.8,85,598.05 (अगस्त 12, 2025 तक)

स्थानः बूंदी
तारीखः अप्रैल 22, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आँशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08